भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 280

जिसका उत्तर दिनांक 03.02.2021 को दिया जाना है

श्रीकाकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

280. श्री जयदेव गल्ला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में कोव्वाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वर्ष फरवरी में अमरीकी राष्ट्रपति सहित भारत आने वाले अमरीकी अधिकारियों के साथ कोई परामर्श किया गया है; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए कुल कितनी भूमि की जरूरत है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(घ) 6000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा क्या है;

(ङ) संयंत्र का विरोध करने वाले स्थानीय समुदाय के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(च) स्थानीय समुदाय और अन्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है और आगे बढ़ने से पहले मंत्रालय किस प्रकार से उनकी शिकायतों के समाधान करने की योजना बना रहा है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) वर्तमान में, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कोव्वडा में प्रत्येक 1208 MW की क्षमता वाले छह नाभिकीय विद्युत रिएक्टर स्थापित करने के लिए परियोजना प्रस्ताव पर सहमति हेतु मेसर्स वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी (डब्ल्यूईसी), यूएसए के साथ तकनीकी - वाणिज्यिक चर्चा चल रही है । प्रस्ताव के फाइनल होने पर, इसे प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान करने के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा । परियोजना मंजूरी प्राप्त होने पर, बाद की गतिविधियों की सूची बनाई जाएगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) परियोजना स्थापित करने के लिए 2079.79 एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है जिसमें से, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के नाम पर 2061.1 एकड़ भूमि का नामांतरण राज्य प्राधिकारियों द्वारा पूरा कर दिया गया है । शेष भूमि के लिए कार्य प्रगति पर है ।

(घ) परियोजना प्रस्ताव की चर्चा पूरी होने और फाइनल होने पर लागत आंकलन और समय-सीमा विवरण का पता चलेगा ।

(ङ) जी, हां । भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013 के अनुसार, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) किया गया और स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों सहित सभी प्रभावित गांवों के लिए एक पब्लिक सुनवाई आयोजित की गई ।

(च) चिंताओं का मुख्य कारण पुनर्वास, संयंत्र की सुरक्षा के बारे में आशंकाएं और जीविका के परम्परागत साधनों के खोने से संबंधित मुद्दे रहे हैं । नाभिकीय ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों की शंकाओं के समाधान हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित जारी एक बड़े पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम का क्रियान्वयन एनपीसीआईएल द्वारा किया जा रहा है जिससे सरल, सुगम और विश्वसनीय तरीके से उनकी चिंताओं का निराकरण किया जा सके ।

* * * * *